भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3307
दिनांक 21.03.2023/30 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध/धोखाधड़ी

3307. श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः

श्री दिलीप शइकीयाः

श्री देवजी पटेलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में साइबर अपराध/धोखाधड़ी, यौन शोषण, जबरन वसूली और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;
(ग) साइबर अपराध के मामलों के समाधान में औसतन कितना समय लगता है;
(घ) केन्द्र सरकार द्वारा साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और राज्यों द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;
(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान साइबर माध्यम से डराने-धमकाने और पीछा करने सहित अन्य साइबर अपराधों के लिए वर्ष-वार कितने लोगों को दंडित किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का देश में ऐसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए कोई नया कानून बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ङ): साइबर स्पेस के उपयोग में वृद्धि होने के कारण, धोखाधड़ियों सहित साइबर

अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामले, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और अपराध शीर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-। और ॥ में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां, साइबर अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही करती हैं। केंद्र सरकार, एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता संवर्धन के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से एक व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चेतावनी/ एडवाइजरी जारी करना, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/ अभियोजकों/ न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं। सरकार ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक फ्रेमवर्क और ईको-सिस्टम उपलब्ध कराने हेतु '

लोक सभा अता.प्र.सं. 3307 दिनांक 21.03.2023

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) का गठन किया है, ताकि साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटा जा सके।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता के निर्माण जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, क्षमता निर्माण करने और कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने आदि के लिए "महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)" योजना के तहत 122.24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

गृह मंत्रालय ने ''पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता'' योजना के अंतर्गत नवीनतम हथियार, प्रशिक्षण यंत्र, उन्न्त संचार/फॉरेंसिक उपकरण, साइबर पुलिसिंग संबंधी उपकरण, आदि की खरीद हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की है। राज्य सरकारें साइबर अपराधों से निपटने सहित अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार 'राज्य कार्य योजनाएं (एसएपी)' तैयार करती हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत संवितरित की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि का राज्य वार ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

(च): साइबर अपराधों से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियाँ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रद्योगिकी (आईटी) एक्ट, 2000 के प्रावधानों का उपयोग करती हैं।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता.प्र.सं. 3307 दिनांक 21.03.2023

वर्ष 2019-2021 के दौरान कुल साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019						2020						2021					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	1886	235	3	452	344	5	1899	314	6	475	446	9	1875	374	8	363	515	8
2	अरुणाचल प्रदेश	8	0	0	1	0	0	30	1	0	12	1	0	47	3	0	5	3	0
3	असम	2231	349	13	1636	733	13	3530	385	0	1717	395	0	4846	579	2	6096	931	2
4	बिहार	1050	288	4	1014	519	17	1512	651	0	751	727	0	1413	424	2	980	520	2
5	छत्तीसगढ़	175	94	13	139	136	19	297	152	3	209	188	3	352	200	0	260	245	0
6	गोवा	15	20	0	3	25	0	40	6	0	15	15	0	36	18	0	42	22	0
7	गुजरात	784	447	0	1083	1064	0	1283	475	0	942	906	0	1536	715	0	1395	1394	0
8	हरियाणा	564	188	6	314	288	10	656	221	0	347	323	0	622	326	3	647	601	4
9	हिमाचल प्रदेश	76	20	2	44	24	2	98	31	0	46	39	0	70	63	1	68	77	1
10	झारखंड	1095	344	19	402	568	19	1204	462	125	820	791	131	953	400	25	1414	1215	45
11	कर्नाटक	12020	111	9	446	183	10	10741	2842	2	489	2916	2	8136	5801	10	615	5967	12
12	केरल	307	176	2	220	214	2	426	161	0	299	179	0	626	287	2	447	345	2
13	मध्य प्रदेश	602	405	18	659	531	24	699	445	14	692	598	15	589	487	50	803	802	119
14	महाराष्ट्र	4967	980	7	1739	1470	9	5496	902	3	1735	1238	3	5562	1428	23	2475	1914	60
15	मणिपुर	4	0	0	8	0	0	79	0	0	17	0	0	67	2	0	31	2	0
16	मेघालय	89	2	0	3	3	0	142	1	0	9	7	0	107	6	0	2	8	0
17	मिजोरम	8	4	0	5	5	0	13	8	2	4	8	2	30	20	3	31	21	3
18	नागालैंड	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0
19	ओडिशा	1485	220	0	316	351	0	1931	282	0	369	396	0	2037	313	0	363	412	0
20	पंजाब	243	90	5	259	118	9	378	106	1	298	162	1	551	188	4	416	247	4
21	राजस्थान	1762	312	35	571	556	41	1354	340	24	541	520	32	1504	502	23	861	864	40
22	सिक्किम	2	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	385	113	8	400	161	10	782	135	7	516	237	9	1076	147	6	612	198	8
24	तेलंगाना	2691	847	10	748	1564	11	5024	939	280	1169	1158	282	10303	1361	19	1478	2179	21
25	त्रिपुरा	20	4	0	1	5	0	34	5	0	6	5	0	24	10	0	8	10	0
26	उत्तर प्रदेश	11416	3705	201	4324	5258	272	11097	4987	642	6491	6427	878	8829	4407	292	6887	6006	387
27	उत्तराखण्ड	100	40	1	71	72	1	243	58	0	93	80	0	718	158	0	207	266	0
28	पश्चिम बंगाल	524	104	4	215	124	4	712	178	0	203	313	0	513	307	17	246	336	17
	कुल राज्य	**44511**	**9099**	**360**	**15076**	**14318**	**478**	**49708**	**14087**	**1109**	**18265**	**18075**	**1367**	**52430**	**18526**	**490**	**26753**	**25100**	**735**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	0	0	0	0	0	5	5	0	3	5	0	8	3	0	12	4	0
30	चंडीगढ़	23	9	5	14	14	6	17	3	1	4	3	2	15	6	0	9	7	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	3	0	0	1	0	0	3	1	0	1	1	0	5	2	0	4	4	0
32	दिल्ली	115	58	2	147	80	2	168	61	0	107	77	0	356	157	1	494	336	1
33	जम्मू और कश्मीर*	73	18	0	22	22	0	120	14	0	33	23	0	154	49	0	102	60	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	4	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0
36	पुदुचेरी	4	3	0	8	8	0	10	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**224**	**88**	**7**	**192**	**124**	**8**	**327**	**89**	**1**	**155**	**114**	**2**	**544**	**218**	**1**	**621**	**412**	**1**
	कुल (अखिल भारत)	**44735**	**9187**	**367**	**15268**	**14442**	**486**	**50035**	**14176**	**1110**	**18420**	**18189**	**1369**	**52974**	**18744**	**491**	**27374**	**25512**	**736**

स्रोत:भारत में अपराध. नोट: '+' 2019-20 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े, *' 2019-20 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े.

अनुलग्नक-II

लोक सभाअता.प्र.सं. 3307 दिनांक 21.03.2023

2019-2021 के दौरान साइबर अपराधों के तहत अपराध प्रमुख-वार मामले दर्ज (सीआर), आरोप पत्र (सीसीएस), दोषी (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दायर किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोषी ठहराए गए व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	क्राइम हेड	2019						2020						2021					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ करना	173	42	2	60	62	8	338	76	20	153	134	23	55	51	0	106	72	0
2	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	23734	3691	161	5174	5586	188	21926	6435	508	6499	7726	568	19915	10256	211	9577	12852	295
3	साइबर आतंकवाद	12	3	0	17	11	0	26	4	0	20	6	0	15	6	0	8	10	0
4	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण	4203	1567	86	2531	2111	106	6308	2343	66	3858	3170	82	6598	2811	123	4819	3547	139
5	सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन	9	8	0	8	8	0	7	3	0	3	3	0	2	1	0	0	2	0
6	सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच के लिए अअधिकृत पहुँच/प्रयास	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
7	अपराध करने के लिए उकसाना	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	7	4	0	5	5	0
8	अपराध करने का प्रयास	14	10	0	16	14	0	18	12	0	16	14	0	5	3	0	3	3	0
9	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएं	2699	451	50	727	690	78	1017	320	37	509	431	48	827	386	19	671	536	35
क	आईटी अधिनियम के तहत कुल अपराध	30846	5774	299	8535	8484	380	29643	9194	631	11059	11485	721	27427	13518	353	15189	17027	469
10	आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन)	7	6	0	12	12	0	10	6	0	12	7	0	10	10	0	13	12	0
11	साइबर स्टॉकिंग / महिलाओं / बच्चों की बुलिंग	771	463	12	673	581	15	872	438	8	619	525	10	1176	702	15	870	830	16
12	डेटा चोरी	282	28	1	59	42	1	98	137	75	205	195	75	170	33	3	156	42	4
13	धोखा	6229	1119	18	2539	1980	40	10395	1688	221	2332	2268	246	14007	1815	30	3503	2988	73
14	बेईमानी करना	3367	535	10	1249	1292	14	4480	771	60	1277	1163	85	6343	842	27	3977	1707	30
15	जालसाजी	511	127	0	167	463	0	582	419	77	479	454	189	198	102	16	541	271	21
16	डिफेमेशन/मॉर्फिंग	19	4	0	5	4	0	51	4	0	15	6	0	31	11	0	13	12	0
17	नकली प्रोफ़ाइल	85	35	0	45	43	0	149	43	2	65	65	2	123	39	1	47	43	1
18	कॉउंटरफीटिंग	5	5	0	8	8	0	9	2	0	10	4	0	2	1	0	1	1	0
19	साइबर ब्लैकमेलिंग/थ्रेटनिंग	362	109	2	296	145	2	303	121	6	203	153	6	689	238	2	1020	553	3
20	सोशल मीडिया पर फेक न्यूज	188	60	1	171	94	1	578	145	1	213	207	1	179	148	0	145	185	0
21	अन्य अपराध	1974	883	23	1404	1204	31	2674	1123	9	1716	1501	14	2456	1198	36	1673	1624	39
ख	IPC के तहत कुल अपराध	13800	3374	67	6628	5868	104	20201	4897	459	7146	6548	628	25384	5139	130	11959	8268	187
22	जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ)	22	16	0	58	54	0	63	31	7	116	85	7	27	26	3	125	107	15
23	लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी)	9	1	0	11	1	0	26	12	11	14	12	11	4	5	0	0	15	0
24	कॉपी राइट एक्ट	34	10	0	8	11	0	49	24	0	44	36	0	32	28	0	40	38	0
25	ट्रेड मार्क एक्ट	1	3	0	2	3	0	5	2	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0
26	अन्य एसएलएल अपराध	23	9	1	26	21	2	48	16	2	38	21	2	99	28	5	61	57	65
ग	एसएलएल के तहत कुल अपराध	89	39	1	105	90	2	191	85	20	215	156	20	163	87	8	226	217	80
	कुल साइबर अपराध	**44735**	**9187**	**367**	**15268**	**14442**	**486**	**50035**	**14176**	**1110**	**18420**	**18189**	**1369**	**52974**	**18744**	**491**	**27374**	**25512**	**736**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक-III

लोक सभा अता.प्र.सं. 3307 दिनांक 21.03.2023

'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' योजना के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान, राज्यों को आवंटित और जारी वित्तीय सहायता की राशि का विवरण

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20			2020-21			2021-22		
		आवंटन	जारी राशि	उपयोग राशि	आवंटन	जारी राशि	उपयोग राशि	आवंटन	जारी राशि	उपयोग राशि
1	आंध्र प्रदेश	24.46	75.36	33.35	24.46	5.83	-	24.46	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	3.92	0	-	3.92	-	-	3.92	-	-
3	असम	26.4	0	-	26.4	-	-	26.4	9.36	-
4	बिहार	27.62	9.42	5.46	27.62	19.12	6.03	27.62	-	-
5	छत्तीसगढ़	9.72	8.35	6.02	9.72	7.16	-	9.72	5.44	-
6	गोवा	1.03	0	-	1.03	0.22	-	1.03	0.26	-
7	गुजरात	25.58	41.19	25	25.58	-	-	25.58	-	-
8	हरियाणा	11.48	18.48	-	11.48	-	-	11.48	10.35	-
9	हिमाचल प्रदेश	3.5	27.49	15.83	3.5	0.83	0.82	3.5	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	39.9	40.20	23.3	-	-	-	-	-	-
11	झारखंड	9.21	7.08	2.71	9.21	-	-	9.21	-	-
12	कर्नाटक	38.37	14.61	14.61	38.37	9.14	9.14	38.37	32.54	32.54
13	केरल	16.11	54.01	47.57	16.11	-	-	16.11	4.48	-
14	मध्य प्रदेश	27.11	14.45	14.45	27.11	-	-	27.11	6.78	-
15	महाराष्ट्र	47.11	65.98	-	47.11	-	-	47.11	-	-
16	मणिपुर	9.55	10.75	8.9552	9.55	-	-	9.55	-	-
17	मेघालय	3.75	6.63	2.97	3.75	-	-	3.75	-	-
18	मिजोरम	4.77	34.63	18.2	4.77	1.14	1.14	4.77	-	-
19	नागालैंड	10.74	17.29	17.29	10.74	-	-	10.74	17.03	13.05
20	ओडिशा	15.6	42.45	42.06	15.6	-	-	15.6	3.90	0.43
21	पंजाब	16.42	31.33	8.9	16.42	4.15	3.70	16.42	-	-
22	राजस्थान	31.26	27.28	27.04	31.26	13.53	7.35	31.26	13.53	10.40
23	सिक्किम	1.77	0	-	1.77	-	-	1.77	1.37	-
24	तमिलनाडु	34.84	56.62	36.01	34.84	-	-	34.84	-	-
25	तेलंगाना	17.48	57.58	57.35	17.48	4.16	4.16	17.48	8.74	8.74
26	त्रिपुरा	7.84	4.97	4.97	7.84	5.72	2.60	7.84	6.75	2.76
27	उत्तर प्रदेश	63.19	62.75	62.75	63.19	32.02	22.53	63.19	32.02	22.44
28	उत्तराखंड	3.37	5.43	5.03	3.37	-	-	3.37	5.84	0.84
29	पश्चिम बंगाल	28.9	46.53	30.67	28.9	-	-	28.9	-	-
	कुल	**561.00**	**780.89**	**510.495**	**521.10**	**103.02***	**57.47**	**521.10**	**158.39***	**91.20**

* अधिकांश राज्यों को आवंटन के विरुद्ध वित्तीय राशि जारी नहीं किया जा सका क्योंकि उनके पास पर्याप्त अव्ययित शेष राशि है।